

सुभ्रन देवी | बबरी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
9-3-21	<p>पत्रावली पेश हुई कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया अपील subject to limitation दर्ज की जावे बनील अपीलांत को सुना पत्रावली का अवलोकन किया अपीलांत ने यह अपील तहत अदालत द्वारा जारी निर्णय दि. 13.5.16 के खिलाफ पेश की, जो अपीलांत को जिना सुने पारित किया है विवादित भूमि में अपीलांत ने रकबा रजि० बयाना से स्वीकृत किया है उसका हक निहित है उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये </p> <p>अतः आदेश है कि अपील आंशिक स्वीकारतहत अदालत का निर्णय दिनांक 13.5.16 निरस्त किया जाता है तथा तहत न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वो उनके वहां लम्बित प्रा.पत्र चारा 212 R.T. एक्ट में उभयपक्ष को सुनकर प्रा.पत्र का निस्तारण 2 माह में करें अपीलांत वास्तु सुनवाई तहत न्यायालय में निम्न दिनांक को उपस्थित हो </p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुमाया गया पत्रावली कैसल सुमार हो </p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर